बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः–प्र0 / ऊर्जा ज0वि0नि0–04 / 2024– / पटना, दिनांकः–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना को सिस्टम इम्प्रूभमेन्ट के तहत 4 (चार) जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 1418.40 लाख (चौदह करोड़ अठारह लाख चालीस हजार) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना से 2.96 करोड़ (दो करोड़ छियानवे लाख) रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–1173 दिनांक–28.02.2013 द्वारा राज्य सरकार ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना द्वारा सिस्टम इम्प्रूभमेन्ट के तहत 4 (चार) जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 1418.40 लाख (चौदह करोड़ अठारह लाख चालीस हजार) रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एंव इसके कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में 5.00 करोड़ (पाँच करोड़) ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–2163 दिनांक–01.10.2012 द्वारा 9.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि 14.00 करोड़ रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 को उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि विभिन्न कारणों से इस योजना के कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि में से दिनांक–31.03.2024 को उपलब्ध राशि 7.7346686 करोड़ (सात करोड़ तिहत्तर लाख छियालीस हजार छः सौ छियासी) रूपये कोषागार द्वारा वापस कर ली गयी है, जिसमें से विभागीय राज्यादेश संख्या–1896 दिनांक–17.04.2025 द्वारा 4.95 करोड़ रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त शेष राशि 2.96 करोड़ रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0 द्वारा मांग की गयी है जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

3. उक्त आलोक में बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना को सिस्टम इम्प्रूभमेन्ट के तहत 4 (चार) जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु 1418.40 लाख (चौदह करोड़ अठारह लाख चालीस हजार) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना से 2.96 करोड़ (दो करोड़ छियानवे लाख) रूपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि की मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–201–पन बिजली उत्पादन, उपशीर्ष–0101–बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण, विपत्र कोड–10–6801002010101 विषय शीर्ष–55.01–ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0024–बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, व्यय शीर्ष–L8448001200024 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200024 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये CFMS खाता संख्या–PTSPLA010 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग पत्रांक–1354 दिनांक–06.02.2026 के दिशा–निर्देश के आलोक में वित्त विभाग की सहमति के उपरांत ही पी0एल0 खाते में राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/ऊर्जा ज0वि0नि0–04/2024 के पृष्ठ संख्या–31/टि0 पर दिनांक–13.03.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र0/ऊर्जा ज0वि0नि0–04/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा ज0वि0नि0–04/2024– 1429 /पटना, दिनांक– 16.03.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.26

सरकार के संयुक्त सचिव।

8